3323-3443
19/8/21

वन विभाग की विभागीय ऑडिट समिति की (वर्ष 2021–22) की प्रथम बैठक दिनांक 16.08.2021 का कार्यवाही विवरण

वन विभाग के ऑडिट समिति वर्ष 2021–22 की प्रथम बैठक दिनांक 16.08.2021 को अरण्य भवन के कॉन्फ्रेन्स हॉल में श्रीमती श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची **परिशिष्ठ 'अ'** पर संलग्न है।

- सर्वप्रथम डॉ. दीप नारायण पाण्डेय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) एवं डॉ. देवराज, वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रशासनिक (वन) विभाग, महालेखाकार कार्यालय, वित्त विभाग, निरीक्षण विभाग एवं वन विभाग के उपस्थित अधिकारियों तथा विडियोकान्फ्रेसिंग से ऑनलाईन जुडे हुए अधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदया की अनुमति से गत बैठक की कियान्विति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरान्त बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं पर ऑडिट समिति की बैठक में विचार विमर्श हेतु एजेण्डा बिन्दुओं का विस्तृत विवरण डॉ. देवराज, वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किया गया। बिन्दुवार समीक्षा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये।

जन लेखा समिति

- वित्तीय सलाहकार द्वारा यह अवगत करवाया गया कि जन लेखा समिति वर्ष 2019–20 के 49वें प्रतिवेदन की सिफारिशों पर दिनांक 21–22 सितम्बर 2021 को जन लेखा समिति के समक्ष साक्ष्य लिया जाना निर्धारित किया गया है। 49वें प्रतिवेदन की सिफारिशों की अनुपालना पर महालेखाकार कार्यालय से संवीक्षा टिप्पणी प्राप्त हो चुकी है। संवीक्षा टिप्पणी के अनुसार अनुपालना प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) से प्राप्त हो गयी थी लेकिन महालेखाकार संवीक्षा अनुसार नहीं होने के क़ारण वापस लौटायी गयी है। शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है।
- इस पर प्रमुख शासन सचिव, वन द्वारा जन लेखा समिति वर्ष 2019–20 के 49वें प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 1 से 17 के सम्बन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) को **7 दिवस** में अनुपालना भिजवाने बाबत निर्देश दिये। जन लेखा समिति वर्ष 2005–06 का 105वां प्रतिवेदन के द्वितीय प्रकरण की सिफारिश संख्या 11,20,25,30,33,34,36,43,44 एवं 45 के संबंध में मुख्य वन संरक्षक, कोटा को प्रमुख शासन सचिव ने प्रतिवेदन के संबंध में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर शीघ्र अनुपालना प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया। इसी क्रम में वित्तीय सलाहकार द्वारा यह ध्यान

में लाया गया कि विधान सभा द्वारा जारी 206वें प्रतिवेदन में उक्त सिफारिशों के बारे में प्राप्त उत्तरो को दृष्टिगत रखते हुये जन लेखा समिति ने कार्यान्वित मान लिया है अतः इस पर महालेखाकार द्वारा पुनः कियान्विति रिपोर्ट मांगा जाना उचित प्रतीत नही होता है। इस पर उप महालेखाकार ने इस प्रकरण का पुनः परीक्षण करने का आश्वासन दिया। जन लेखा समिति वर्ष 2020–21 का 92वां प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 17,18,19 के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को **एक सप्ताह** में अनुपालना भिजवाने हेतु निर्देश दिये गये।

सी.ए.जी

- सी.ए.जी. (आर्थिक) वर्ष 2017–18 के अनुच्छेद संख्या–2.2, 3.2 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) अनुच्छेद संख्या–2.2.7 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), अनुच्छेद संख्या–2.2.15 एवं 2.2.16 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन सुरक्षा), अनुच्छेद संख्या–2.2.15.2, 2.2.15.3, 2.2.15.4 एवं 2.2.20 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना), अनुच्छेद संख्या–2.2.16 एवं 2.2.20 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (F.C.A), अनुच्छेद संख्या 3.3, 3.4 के संबंध में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA) को **एक सप्ताह** में अनुपालना भिजवाने के निर्देश दिये। सी.ए.जी (राज्य वित्त) वर्ष 2018–19 के अनुच्छेद संख्या 3.3 के संबंध में मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य जयपुर को शीघ्र अनुपालना प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

ड्राफ्ट पैरा

- "Outcomes in surface Irrigation" ड्राफ्ट पैरा के संबंध में **अनुपालना 10 दिवस** में भिजवाने हेतु मुख्य वन संरक्षक, (जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर) को निर्देशित किया गया।

- माह सितम्बर 2021 दिनांक 21 व 22 को आयोजित जन लेखा समिति की बैठक के परिपेक्ष्य में प्रमुख शासन सचिव, ने सम्बन्धित प्रकरणों में उचित क्रियान्विति पालना महालेखाकार से संवीक्षा करवाकर **दिनांक 31.08.2021** तक राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये।

महालेखाकार के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख) द्वारा निर्देश दिये गये कि जिस नियंत्रक अधिकारी के अधीन वाले कार्यालय/संभाग के पैराज बकाया है वे व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करके बकाया पैराज का अतिशीघ्र निस्तारण करने के लिए ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना रिपोर्ट महालेखाकार को शीघ्र प्रेषित करें।
- उक्त कार्यालयों के नियंत्रक अधिकारियों/मुख्य वन संरक्षकगणों को प्रमुख शासन सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि अनुच्छेदों के निस्तारण की प्रक्रिया को एक अभियान के रूप में लेते हुये अतिशीघ्र निरस्त करवाने की कारवाई हेतु ठोस प्रयास करें।

महालेखाकार प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालना

- प्रमुख शासन सचिव ने महालेखाकार के बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु माह अक्टूबर 2021 में कैम्प लगाने हेतु भी निर्देशित किया। उप महालेखाकार ने भी प्रथम अनुपालना समय पर प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित कार्यालयों को शीघ्र कार्यवाही हेतु कहा।

चोरी, हानि एवं गबन

- चोरी, हानि एवं गबन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान वित्तीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इन प्रकरणों के सम्बन्ध में काफी पत्राचार करने के उपरान्त भी इन प्रकरणों के निस्तारण में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पायी है एवं सभी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने की वजह से निस्तारण की कार्यवाही नही हो रही है।
- प्रमुख शासन सचिव, ने प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में महालेखाकार कार्यालय के प्रतिनिधि से न्यायालय से जुडे प्रकरणों के संबंध में विभागीय पक्ष रखकर प्रकरण शीघ्र निस्तारण करवाने हेतु प्रभावी प्रयास करने हेतु कहा है। जिन कार्यालयों से अपलेखन के प्रस्ताव आने हैं उनको भी शीघ्र कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

निदेशक निरीक्षण विभाग आंतरिक जांच

- निदेशक, निरीक्षक विभाग के 97 आंतरिक जांच प्रतिवेदनों के 604 अनुच्छेद बकाया हैं। प्रमुख शासन सचिव एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) द्वारा अधिक पैरा बकाया होने पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा अतिरिक्त निदेशक, निरीक्षण विभाग विभाग को माह अक्टूबर 2021 में कैम्प का आयोजन कराकर रिपोर्ट/अनुच्छेद निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया।

निदेशक निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन

- निदेशक, निरीक्षक विभाग के 268 आंतरिक जांच प्रतिवेदनों के 1120 अनुच्छेद बकाया हैं। प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) द्वारा अधिक पैरा बकाया होने पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा कैम्प का आयोजन कराकर रिपोर्ट/अनुच्छेद निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया है।

निदेशक निरीक्षक विभाग, विशेष जांच

- प्रमुख शासन सचिव ने 15 विशेष जांच प्रतिवेदनों के काफी लम्बे समय से बकाया होने पर असंतोष व्यक्त किया। अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि आक्षेपों की व्यक्तिगत स्तर पर समीक्षा कर प्रतिवेदनों की ठोस/आक्षेपानुसार पालना वित्तीय सलाहकार को शीघ्र प्रेषित की जाए। साथ ही सभी नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पुरानी रिपोर्ट को ज्यादा गम्भीरता से लेते हुये व्यक्तिगत ध्यान देकर पालना प्रेषित की जाए। संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग ने भी इन विशेष जांच प्रतिवेदनों की शीघ्र पालना करवाने का आग्रह किया तथा यह भी बताया गया कि उक्त विशेष जांच वित्त विभाग के द्वारा करवाई गई है। अतः वित्त विभाग के स्तर से भी इनकी मॉनिटरिंग की जाती है।

ओ.बी. आईटम्स

- प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) द्वारा निर्देशित किया गया कि सबसे अधिक ओ.बी.आईटम मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर एवं भरतपुर के बकाया होने की वजह से ओ.बी.आईटम्स सम्बन्धित प्रकरणों पर विशेष ध्यान देते हुये परीक्षण कर बकाया ओ.बी. आईटम्स के निस्तारण की कारवाई की जाए तथा अन्य कार्यालयों को भी बकाया ओ.बी.आईटम निस्तारण के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये।

प्रमुख शासन सचिव द्वारा विडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि ऑडिट सम्बन्धी समस्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्वयं के स्तर पर समीक्षा कर इनके निस्तारण हेतु ठोस कार्यवाही करावें तथा जन लेखा समिति की माह सितम्बर में दिनांक 21 व 22 को आयोजित बैठक सम्बन्धी प्रकरणों में उचित ठोस कार्यवाही / सारगर्भित पालना प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर **दिनांक 31.08.2021** तक राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख) द्वारा बैठक के अन्त में

सभी अधिकारियों को प्रभावी एवं ठोस अनुपालना प्रेषित कर बकाया आक्षेपों के निस्तारण में व्यक्तिगत प्रयास करने हेतु निर्देशित किया तथा यह भी बताया गया कि समय समय आयोजित होने वाली विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में गम्भीर तथा बकाया अंकेक्षण आक्षेपों की भी समीक्षा की जायेगी।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(डॉ.डी.एन.पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 1( ) 2021–22/ऑडिट समिति/प्रमुवसं/3323–443 दिनांक : 19.08.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार आर्थिक एवं राजस्व लेखा राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, वन राजस्थान जयपुर।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास/ प्रशासन/TREE/ राजस्थान, जयपुर।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियोजना सूत्रीकरण एवं समन्वयन) एवं नोडल अधिकारी, (ऑडिट समिति), जयपुर
11. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, NTFP/उत्पादन/ FCA/वन सुरक्षा/कैम्पा/ जयपुर।
12. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं परियोजना निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, (RFBP) राजस्थान, जयपुर/अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू–संरक्षण, जयपुर।
13. निदेशक, राज, वानिकी एवं वन्यजीव प्रशि. संस्थान, राज. जयपुर।
14. सदस्य सचिव, जैव विविधता (Biodiversity board)बोर्ड, अरावली भवन, राजस्थान, जयपुर।
15. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

16. मुख्य वन संरक्षक, कोटा/विभागीय कार्य,/सिल्वा, ग्रास फार्म, जयपुर/FPRP (बनास)/उदयपुर/जोधपुर/ बीकानेर/अजमेर/ भरतपुर/सदस्य सचिव, बायोडाईवर्सिटी बोर्ड, जयपुर/मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर/वन्यजीव, जोधपुर/वन्यजीव, उदयपुर/वन्यजीव, कोटा/वन्यजीव, (सरिस्का), अलवर/आर.वी.पी. कोटा/बाघ परियोजना, रणथम्भौर सवाईमाधोपुर/मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय)/(आयोजना)/वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रमुवसं, राज. जयपुर।
17. समस्त उप वन संरक्षक।
18. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी लेखा शाखा कार्यालय हाजा।
19. कम्प्यूटर शाखा को प्रेषित कर विभागीय ई–मेल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

19/08

वित्तीय सलाहकार
वन विभाग
राजस्थान, जयपुर

विभागीय ऑडिट समिति की प्रथम बैठक (वर्ष 2021–22) दिनांक 16.08.2021 को अरण्य भवन में उपस्थित अधिकारीगण

1. डॉ. दीप नारायण पाण्डेय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर।
2. श्री बी.प्रवीण, शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्री संजीव कुमार सुराणा, उप महालेखाकार ऑडिट –II राज. जयपुर।
4. श्रीमती रीतु गुप्ता, संयुक्त शासन सचिव वित्त (अंकेक्षण) राजस्थान, जयपुर।
5. श्री एम. के. गर्ग, अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं परियोजना निदेशक, (RFBP) राज., जयपुर
6. श्री अरिन्दम तोमर, अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रति. राज. जयपुर।
7. श्री एन. उदय शंकर, अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), राजस्थान जयपुर।
8. डॉ. देवराज वित्तीय सलाहकार वन विभाग राज. जयपुर।
9. श्री के.सी. मीणा, मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
10. श्री आर.एल. परसोया, अति. निदेशक, निरीक्षण विभाग राज. जयपुर।
11. श्री पी.सी. कल्यानिया, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी महालेखाकार ऑडिट–II राज. जयपुर।
12. श्रीमती आकांशा जोशी, उप वन संरक्षक, (कैम्पा) राजस्थान, जयपुर।
13. श्रीमती मधु राठौड़, मुख्य लेखाधिकारी, (कैम्पा) राजस्थान, जयपुर।
14. श्री दिनेश गुप्ता, सहायक वन संरक्षक कार्यआयोजना, राजस्थान, जयपुर।
15. श्रीमती सीमा यादव, वरिष्ठ लेखाधिकारी, वन बिभाग राज. जयपुर।
16. श्रीमती पदमा देवी, लेखाधिकारी, वन विभाग राजस्थान, जयपुर।
17. श्री जगदीश लाल मीणा, सहायक शासन सचिव वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
18. श्री हनुमान सहाय मीणा, लेखाधिकारी निदेशक निरीक्षण विभाग राज. जयपुर।
19. श्री मोती लाल मीणा, सहायक लेखाधिकारी महालेखाकार ऑडिट–II राज. जयपुर।

अन्य अधिकारीगण जिनसे विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से चर्चा की गई।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास/प्रशासन/कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त/राज. जयपुर।
2. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियोजना सूत्रीकरण एवं समन्वयन) एवं नोडल अधिकारी, (ऑडिट समिति), जयपुर
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, NTFP/FCA/वन सुरक्षा/कैम्पा/सिल्वा जयपुर।
4. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू–संरक्षण, जयपुर।
5. निदेशक, राज, वानिकी एवं वन्यजीव प्रशि. संस्थान, राज. जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, कोटा/विभागीय कार्य, जयपुर/FPRP(बनास)/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर/भरतपुर/मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर/वन्यजीव, जोधपुर/वन्यजीव, उदयपुर/वन्यजीव, कोटा/वन्यजीव, (सरिस्का), अलवर/आर.वी.पी. कोटा/बाघ परियोजना, रणथम्भौर सवाईमाधोपुर/मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय)/(आयोजना)/वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रमुवसं, राज. जयपुर।
7. समस्त उप वन संरक्षक।